भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 36/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 08 अक्टूबर, 2021

विषयः अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021, अधिसूचना सं. 23/2015–2020 दिनांक 03.09.2021 तथा अधिसूचना सं. 32/2015–2020 दिनांक 25.09.2021 के क्रम में आयात के पत्तनों को शाामिल करना।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 23/2015–20 दिनांक 03.09.2021; अधिसूचना संख्या 25/2015–20 दिनांक 13.09.21 और अधिसूचना संख्या 32/2015–20 दिनांक 25.09.2021 के साथ पठित अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के पैरा 3 के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं में यथा वर्णित मौजूदा (7) पत्तनों के अतिरिक्त निम्नलिखित (1) पत्तन को शामिल किया जाता है–

i. रानाघाट रेलवे स्टेशन (आईएनआरएनजी2)

2. अधिसूचना सं. 23/2015–20 दिनांक 03.09.2021, अधिसूचना सं. 25/2015–20 दिनांक 13.09.2021 और अधिसूचना संख्या 32/2015–2020 दिनांक 25.09.2021 के साथ पठित अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के तहत यथा अधिदिष्ट अन्य सभी शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

अधिसूचना का प्रभावः अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात को अनुमत करने के लिए रानाघाट रेलवे स्टेशन (आईएनआरएनजी2) के पत्तन को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
08/10/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

[फा.सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2(ए)/पार्ट–VIII/ई–29098 से जारी]